न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 09/2024

उनवान : ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ, पंचायत समिति जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

–निगरानीकार

बनाम

श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री मनीष कुमार अग्रवाल, निवासी– ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

– गैरनिगरानीकार

3. प्रकरण संख्या : 13/2024

उनवान : आम जनता हिंगोनिया, ग्राम हिंगोनियाँ, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर जरिये –

1. श्री गोगराज चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री झूंथाराम निठारवाल जाति जाट निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. श्री ओम प्रकाश भार्गव पुत्र स्वर्गीय श्री मूलचंद भार्गव जाति ब्राहमण, निवासी हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रमीण।
3. रामावतार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री ओंकारमल शर्मा निवासी हिंगोनिया निवासी हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण। हाल निवासी–111/419 अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर।

–निगरानीकार

बनाम

1. श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्रीपाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी– ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण, जरिए सरपंच।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हिंगोनिया पंचायत समिति जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

– गैरनिगरानीकार

4. *निर्णय दिनांक* : 28/01/2025
5. *अधिवक्तागणों का नाम* : अ) अधिवक्ता श्री रतन लाल गौड निगरानीकार की ओर से एवं अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी निगरानीकार ग्राम पंचायत हिंगोनिया की ओर से।

ब) अधिवक्ता श्री प्रभुसिंह राजावत गैर निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

अति. जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर

इस न्यायालय में विचाराधीन निगरानी संख्या 09/2024 एवं 13/2024 ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 06.11.2019 के विरूद्ध विचाराधीन

है। उक्त दोनों निगरानीयों का मुख्य विवाद्यक बिन्दु समान होने के कारण दोनों पत्रावलियों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकार संजू देवी ने दिनांक 29.08.2019 को ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ में पट्टा देने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। संजू देवी पत्नी मनीष कुमार के बयान फॉर्म को खाली छोड़ गया है। पट्टा पत्रावली में कार्यालय पटवार मंडल हिंगोनिया तहसील रेनवाल जिला जयपुर का "किस्म भूमि का प्रमाण पत्र" पर पटवारी या अन्य किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर, जारी करने की तिथि आदि अंकित नहीं है। श्रीमती संजू ने गैर आवासीय/वाणिज्यिक दुकानों को कूट रचित दस्तावेजों से आवासीय किस्म की भूमि बताकर आवासीय पट्टा जारी करवा लिया है। उक्त संपत्तियों में से एक दुकान पर वर्षों से श्रीपाल अग्रवाल पुत्र श्री नारायण लाल अग्रवाल का ही कब्जा है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र श्री पाल अग्रवाल के पक्ष में ही दिया था, न कि श्रीमती संजू गैरनिगरानीकार संख्या–1 के पक्ष में। विवादित संपत्ति श्री मूल चन्द गोधा पुत्र स्वर्गीय श्री जस करण गोधा, श्री महावीर प्रसाद गोधा पुत्र स्वर्गीय श्री जुगल किशोर गोधा, एवं श्री सुनिल कुमार गोधा पुत्र स्वर्गीय श्री मेघराज गोधा निवासी डिब्रुगढ़ (आसाम) की तीन दुकानें ग्राम हिंगोनिया में थी। इसके लिए श्रीमती ललिता पत्नी श्री चांद रतन उर्फ चन्द्र कुमार जैन को जनरल पावर आफ अटार्नी इन तीनों के द्वारा दी गई थी जिसके दस्तावेज इन तीनों ने दिनांक: 07.06. 2001 को जिला मजिस्ट्रेट तिनसुखिया, आसाम के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये थे। ये तीनों दुकानें श्री प्रसन्न कुमार जैन को इन लागों द्वारा दिनांक: 07.06.2001 को रूपये 31000/– में बेचान की गयी थी, जिसके पक्ष में एक शपथ–पत्र एवं घोषणा–पत्र इन तीनों लोगों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट तिनसुखिया, आसाम के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार श्रीमति संजू देवी गैरनिगरानीकार संख्या एक के हक में कतैई कोई प्रमाण नही होने के प्रबल प्रमाण पत्रावली पर होने के बावजूद भी तथा विवादित संपत्तियों पैतृक संपत्तियों नहीं होने के बावजूद पट्टा जारी करवा लिया। विवादित संपत्ति कई बार अलग अलग व्यक्तियों को बेचान की गयी है। जबकि वास्तविक स्वामी एवं स्वत्व का प्रमाण किसी के पास नहीं हैं, वास्तव में यह लावारीस संपत्ति है, जिसका मालिक होने का प्रयास कई व्यक्तियों ने किया है। व्यवसायिक संपत्ति को आवासीय बताकर पट्टा जारी किया है, जिससे ग्राम पंचायत हिंगोनियां को भी आर्थिक नुकसान हुआ है एवं राजस्थान सरकार को जो स्टैंप ड्यूटी मिलती उससे भी वंचित रखा गया है। ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में एक मुख्तारनामा आम भी मूलचंद गोधा, महावीर गोधा और सुनील गोधा के द्वारा किया गया है जिसमें भी पट्टा संख्या–2 की संपत्ति को दुकानें बताया गया है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में एक बेचान नामा नाम दिनांक 5 अगस्त 2019 का भी पट्टा संख्या–2 की दुकानों का होना दर्शाया गया है जिसमें प्रशन्न कुमार जैन, ललिता देवी, श्रीमती मिश्रि देवी ने पट्टा संख्या 2 की दुकानों को श्रीपाल अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण लाल अग्रवाल को 9,71,000/ रूप्यों में बेचान कर देना बताया है। यह बेचान नामा भी दर्शित करता है कि पट्टा संख्या– 2 की संपत्ति आवासीय नहीं बल्कि दुकान हैं और गैरनिगरानीकार संख्या एक की पैतृक संपत्ति नहीं है। यह संपत्ति आवासिय नहीं हो करके कमर्शियल संपत्ति है। उक्त भूखण्ड निगरानीकार के ससुराल पंचायत हिंगोनिया में स्थित हैं जहां निगरानीकार का पुश्तैनी अथवा विरासत से भूखण्ड का प्राप्त होना कतई गलत है। पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है, न ही किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई नोटिस चस्पा किया गया है तथा सर्वसाधारण से किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ नहीं मांगी गई। सर्वसाधारण से किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ नहीं मांगी गई। दिनांक 29/8/2019 की आदेशिका के बाद अग्रिम आदेशिका कौनसी दिनांक को लिखी गई तथा कौनसी दिनांक को पंच कमिशन रिपोर्ट बाबत् स्थल निरीक्षण के बाबत पंचो की कमेटी गठित की गई। आदेशिकाओं का भी कोई कम व दिनांक आदि

नहीं है। किस दिनांक को कौनसी कार्यवाही की गई सब अस्पष्ट है। उक्त पट्टे के संदर्भ में निगरानीकर्ता संख्या–3 की और से प्राप्त शिकायत पर श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग के द्वारा जांच दल का गठन किया जाकर जांच की गई। जांच दल एवं शासन सचिव पंचायतीराज विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर निर्णय लेकर आदेश दिनांक 22-02-2024 द्वारा निगरानीधीन पट्टा सहित गैरनिगरानीकार पक्ष द्वारा इसी प्रकार से जारी करवाये गये कुल चार पट्टे निरस्त करने के आदेश जारी किये हुए हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि पट्टा संख्या– 2 दिनांक 6/11/2019 को व इससे संबंधित सम्पूर्ण आदेश कार्यवाही निरस्त फरमावें।

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित है कि निगरानीधीन आदेश व पट्टा की नकल के लिए आवेदन प्रार्थी ने गैरनिगरानीकार सख्या 3 के समक्ष पूर्व में ही प्रस्ततु कर दिया था, परन्तु ग्राम पचायत हिंगोनिया के लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ने प्रार्थी को सपूर्ण नकल नहीं दी। प्रार्थी द्वारा दिनाक 20–09–2023 आयुक्त एवं शासन सचिव, पचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में शिकायत प्रस्तुत की गई। आयुक्त एव शासन सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा गठित जांच दल ने पूर्ण जांच करके प्रार्थी की शिकायत को सही माना और निगरानीधीन पट्टा को शून्य एव अवैध मानकर आदेश दिनांक 22–2–2024 के माध्यम से कार्यवाही की गई है, जिसमें निगरानीधीन पट्टे को भी खारिज करवाये जाने के लिए आदेश दिए गये। प्रार्थी को दिनांक 03–05–2024 को पूर्ण सूचनाएं सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत हिगोनिया द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसकी पूर्ण जानकारी होने पर निर्णय व पट्टा की जानकारी की दिनांक 03–05– 2024 से भी निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। निगरानीधीन आदेश अधीनस्थ ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा नियम विरूद्ध और बिना क्षेत्राधिकार के है, जो शून्य है तथा कानून के विरूद्ध है. इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध निगरानी की कोई मियाद नहीं होती है। वैसे भी विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है, क्योंकि निगरानीधीन आदेश व पट्टा प्रथम द्रष्टा ही शून्य है। अन्त में निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 02 की प्रमाणित प्रति व अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभु सिंह राजावत ने वकालतनाम पेश किया।

गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित किया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनाक 18.01.2024 को जांच कमेटी के जांच प्रतिवेदन अनुसार मनीष कुमार अग्रवाल व रामावतार शर्मा के बीच मौके पर ही दोनों के पुश्तैनी मकानों के बीच दीवार को लेकर विवाद है। जांच कमेटी ने अपने जांच प्रतिवेदन के मद संख्या 5 में लिखा है कि रामावतार शर्मा द्वारा लिखित उपलब्ध करवाये गये प्रश्नों के अनुसार ही सवाल जवाब व बयान लिये जाने हेतु जांच कमेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। श्री रामावतार शर्मा द्वारा बार–बार जांच कमेटी पर पक्ष में जांच किये जाने हेतु अनुचित दबाव व हस्तक्षेप किया गया। श्री रामावतार शर्मा राजकीय लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है, जिनके द्वारा ऐसा करना खेद का विषय होना अंकित किया है। उक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर निगरानीकार द्वारा झूठी निगरानी, झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है। मिन जबाबदाता विपक्षी संख्या–1 का पडोसी रामावतार शर्मा ने अपने दबाव में झूठी रिपोर्ट बनवाकर उक्त रिपोर्टों के आधार पर बिना

किसी कानूनी तथ्य के निगरानी पेश की है। पट्टा संख्या 2 को बाजार दर की डीएलसी रेट की 25 प्रतिशत राशि 17250/– रूपये पंचायत कोष में जमा करवाकर नियमानुसार पट्टा प्राप्त किया गया था। उक्त निगरानी 5 वर्ष से अधिक के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। जिसके बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या– 13197 निर्णय दिनांक 16.11.2015 में पारित निर्णय अनुसार असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। निगरानीकार ने ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है. जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त पट्टे की भूमि पर विपक्षी का कब्जा ना हो। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त पट्टा संख्या 02 की भूमि पर विपक्षी के परिवार जन पैतृक रूप से काबिज चले आ रहे थे जिस पर पुख्ता चबुतरा, बैठक व बाउण्ड्रीवॉल का पूर्वजों के समय से निर्माण किया हुआ है। ऐसे कोई तथ्य या परिस्थितिया पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि निगराकार को उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही हो। उक्त पट्टा नियमानुसार ही ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा ही जारी किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत को पट्टा संख्या 02 की जानकारी दिनांक 06.11.2019 से ही है। उक्त विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। जिससे प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 विधिक प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत्त होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि विपक्षी/गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व कानूनी बिन्दुओं के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 खारिज किया जाकर मूल अपील को मियाद बाहर होने से खारिज की जावें।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गयी। निगरानीकार आम जनता हिंगोनिया की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि उक्त पट्टे के संदर्भ में रामअवतार शर्मा की ओर से प्रस्तुत की गई शिकायत पर शासन सचिव एवं आयुक्त पचायतीराज विभाग के द्वारा जाच दल का गठन कर जांच उपरान्त राज्य सरकार द्वारा सक्ष्म स्तर पर निर्णय लेकर आदेश कमांक एफ4 पट्टा जांच/विधि/ /प राज 2023 दिनांक 22.02.2024 द्वारा निगरानीधीन पट्टा सहित गैरनिगरानीकार पक्ष द्वारा इसी प्रकार से ग्राम पंचायत हिंगोनियों से जारी करवाये गये कुल चार पट्टे निरस्त कराने के आदेश जारी किये हुए हैं। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ द्वारा भी चार निगरानियों प्रस्तुत की हुई हैं। ग्राम पंचायत हिंगोनियों के रिकॉर्ड में गैरनिगरानीकार संख्या–1 के द्वारा प्रस्तुत कोई प्रार्थना पत्र नही है। ग्राम पंचायत में पट्टा संख्या–15 के बाबत कोई पत्रावली नहीं खोली गई। पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है, न ही किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई नोटिस चस्पा किया गया है तथा सर्वसाधारण से किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ नहीं मांगी गई। सर्वसाधारण से किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ नहीं मांगी गई। मौका रिपोर्ट में कोई दिनांक व समय भी अंकित नहीं है। पट्टा संख्या 33 में श्रीपाल का शपथ पत्र ही दिनांक 1 दिसंबर 2009 के बाद का है, क्योंकि इस स्टांप पेपर के विक्रय की दिनांक 1 दिसम्बर 2009 स्टांप विक्रेता ईश्वर लाल दुकान न– 113 जोहरी बाजार जयपुर अंकित की हुई है, तो उस शपथ पत्र के आधार पर पंचायत ने दिनांक 20 अक्टूबर 2009 को ही वह इबारत कैसे लिख दी। पंचायती नोटिस का सार्वजनिक प्रकाशन नहीं किया गया तथा ना ही सार्वजनिक स्थान पर चस्पांदगी की गई, आपत्ति नोटिस पर कोई डिस्पेच संख्या या नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित नहीं है। मौका रिपोर्ट में रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी को किस दिनांक को प्रस्तुत की गई अंकित नहीं है और बी. डी.ओ. का नाम, तिथि व हस्ताक्षर कुछ भी अंकित नहीं है। मौका रिपोर्ट किस दिनाक को सरपंच को ग्राम पंचायत की बैठक में पेश करने हेतु प्रस्तुत की गई, इसका अंकन नहीं है। मौका रिपोर्ट में मौका निरीक्षण करने की आज्ञा की तारीख का कॉलम भी रिक्त पड़ा

हुआ है। कमीशन की मौका रिपोर्ट में संदर्भित भूमि की बिक्री पंचायत द्वारा करने अथवा नहीं करने की कोई अनुशंषा अंकित नहीं। है। मौका रिपोर्ट में दिनांक का कॉलम रिक्त है और ग्रा. वि. अ. (सचिव) के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। इस प्रकार इस पट्टे हेतु बनाई गई मौका रिपोर्ट संदिग्ध है एवं विधि सम्मत नहीं है। निगरानीकार द्वारा दिनांक 20-09-2023 को आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग में शिकायत प्रस्तुत की गई। जिसकी गठित दल ने पूर्ण जांच करके प्रार्थी की शिकायत को सही माना और निगरानीधीन पट्टा को शून्य एवं अवैध मानकर आदेश दिनांक 22-2-2024 के माध्यम से कार्यवाही की, जिसमें निगरानीधीन पट्टे को भी खारिज करवाये जाने के लिए आदेश दिए गये। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में लेजिसलेसन ने मियाद का कोई प्रावधान नहीं रखा है। अतः पट्टा संख्या 02 दिनांक 6.11.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की S.B. Civil Writ Petition No. 1688/83 चिमन लाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ग्राम पंचायत हिंगोनिया ने दौराने बहस कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने पंचायती राज एक्ट 1994 एवं 1996 के नियम 142 से 157 की अवहेलना करते हुये निगरानीधीन पट्टा संख्या 02 दिनांक 6.11.2019 क्षेत्रफल 58.08 वर्गगज का जारी करवा लिया। दिनांक 29.08.2019 को आदेशिका के बाद आदेशिकाओं में दिनांक नहीं है। गैर निगरानीकार ने उक्त भूखण्ड को पुश्तैनी विरासत बताते हुए पट्टे के लिए आवेदन किया जबकि उक्त भूखण्ड गैरनिगरानीकार के ससुराल पंचायत हिंगोनिया में स्थित है। नोटिस का प्रकाशन नहीं किया गया तथा ना ही सार्वजनिक स्थानों पर चस्पांदगी की गई। आपत्ति नोटिस पर क्रम संख्या, दिनांक, दिशाएं आदि अंकित नहीं है। मिसल के साथ संलग्न बयान फॉर्म कोई बयान एवं दिनांक अंकित नहीं है केवल खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर है। उक्त भूखण्ड आवासीय ना होकर निर्मितशुदा दुकान है जिसका पट्टा मात्र 200 रुपये पट्टा शुल्क लेकर जारी कर दिया गया। उक्त खाली बरामदे का पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पट्टे से संबंधित मिसल आदि के संधारण के बिना पट्टा जारी कर दिया गया। पट्टे के संबंध में शिकायत शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतराज विभाग की जॉच में जांच दल द्वारा निगरानीधीन पट्टा निरस्त करने हेतु लिखा गया। अतः निगरानीधीन पट्टा खारिज फरमावें जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनाक 18.01.2024 को जांच कमेटी के जांच प्रतिवेदन अनुसार मनीष कुमार अग्रवाल व रामावतार शर्मा के बीच मौके पर ही दोनों के पुश्तैनी मकानों के बीच दीवार को लेकर विवाद है। जांच कमेटी ने अपने जांच प्रतिवेदन के मद संख्या 5 में लिखा है कि रामावतार शर्मा द्वारा लिखित उपलब्ध करवाये गये प्रश्नों के अनुसार ही सवाल जवाब व बयान लिये जाने हेतु जांच कमेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। श्री रामावतार शर्मा द्वारा बार-बार जांच कमेटी पर पक्ष में जांच किये जाने हेतु अनुचित दबाव व हस्तक्षेप किया गया। उक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर निगरानीकार द्वारा झूठी निगरानी, झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है। मिन जबाबदाता विपक्षी संख्या-1 का पडोसी रामावतार शर्मा ने अपने दबाव में झूठी रिपोर्ट बनवाकर उक्त रिपोर्टों के आधार पर बिना किसी कानूनी तथ्य के निगरानी पेश की है। जो 5 वर्ष से अधिक के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानीकार ने ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त पट्टे की भूमि पर विपक्षी का कब्जा ना हो। वास्तविकता में उक्त पट्टा संख्या 02 की भूमि पर विपक्षी के परिवार जन पैतृक रूप से काबिज चले आ रहे थे जिस पर पुख्ता चबुतरा, बैठक व बाउण्ड्रीवॉल का पूर्वजों के समय से निर्माण किया हुआ है। ऐसे कोई तथ्य या परिस्थितिया पत्रावली

& Adc. Dist. JAIPUR ..., जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर

पर उपलब्ध नहीं है कि निगराकार को उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही हो। उक्त पट्टा नियमानुसार ही ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा ही जारी किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत को पट्टा संख्या 02 की जानकारी दिनांक 6.11.2019 से ही है। उक्त विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या– 13197 निर्णय दिनांक 16.11.2015 में पारित निर्णय अनुसार अत्यामान्य विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। अतः निगरानीकार की निगरानी मियाद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 में परिसीमा हेतु प्रावधान नहीं हैं। तदानुसार निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रस्तुतीकरण में विलम्ब को कण्डोन किये जाने योग्य है।

हस्तगत निगरानीयां ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 6.11.2019 के विरूद्ध विचाराधीन है। गैरनिगनीकार द्वारा उक्त भूमि को पैतृक बताकर पट्टा चाहा गया जबकि श्रीमती संजू देवी स्वंय श्रीपाल अग्रवाल की पुत्रवुध है। जिसका अंकन संजू देवी ने अपने आवेदन पत्र में भी किया है। अतः श्रीपाल अग्रवाल के मकान के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत हिगोनिया को वारिसान की पूर्ण जॉच पश्चात् योग्य वारिस को ही पट्टा दिया जाना विधि अनुरूप था, पुत्रवुध को दिया जाना न्यायोचित नही था। जबकि बरक्क्त आवेदन श्रीपाल अग्रवाल जीवित थे। पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकार्ड में पट्टा पत्रावली के संलग्न प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती मिश्री देवी तथा ललिता देवी के अनापत्ति पत्र तथा प्रसन्न कुमार जैन के घोषणा पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में जिस भूखण्ड का पट्टा दिया गया, वह आबादी भूमि ना हो कर दुकान (वाणिज्यिक) है। अतः मौका रिपोर्ट भी गलत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार है किन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया है। पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पट्टा जारी किया हैं। साथ ही पंचायत पत्रावली में बयान फार्म पर संजू देवी के बयान अंकित नही है। केवल खाली पृष्ठ पर संजू देवी के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र से यह भी सुस्पष्ट है कि निगरानीधीन भूखण्ड पैतृक सम्पत्ति नही है। ग्राम पंचायत ने जान बूझकर दुकान (वाणिज्यिक) का आवासीय पट्टा जारी किया है, जो निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 6.11.2019 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।